रजिस्टर्ड नं० एल० 0-33/एम० एम०/13-14/96

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, वीरवार, 31 अक्तूबर, 1996/9 कार्तिक, 1918

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 22 अक्तूबर, 1996

संख्या एल० एल० आर० (राजभाषा) बी (16) 12/96.—दि पब्लिक गेम्बलिंग (हिमाचल प्रदेश अमैन्डमैन्ट) एक्ट, 1976 (1976 का 30) के राजभाषा (हिन्दी) अनुवाद को हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के तारीख 3-10-96 के प्राधिकार के अधीन एतद्द्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है और यह

3173-राजपत्र/96-31-10-96-1,226. (4889) मूल्य : एक रुपया ।

हिमाचल प्रदेश राजभाषा (अनुपूरक उपबन्ध) अधिनियम, 1981 (1981 का 12) की धारा 3 के अधीन उक्त अधिनियम का राजभाषा (हिन्दी) में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा ।

हस्ता/-
सचिव (विधि) ।

सार्वजनिक द्यूत (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1976

(1976 का 30)

(30 जुलाई, 1976 को राष्ट्रपति द्वारा यथा अनुमत)

हिमाचल प्रदेश राज्य में यथा लागू सार्वजनिक द्यूत अधिनियम, 1867 (1867 का 3) का संशोधन करने के लिए **अधिनियम** ।

भारत गणराज्य के सत्ताईसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम सार्वजनिक द्यूत (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1976 है ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य पर है ।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा ।

धारा 1 का संशोधन ।

2. सार्वजनिक द्यूत अधिनियम, 1867 (1867 का 3) (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 1 में "सामान्य जुआ घर" की परिभाषा के स्थान पर, निम्नलिखित परिभाषाएं रखी गई समझी जाएंगी, अर्थात्:--

"जुआ" के अन्तर्गत किन्हीं तत्पश्चात् अभिनिश्चित या प्रकटित किए जाने वाले अंकों या संख्याओं या तारीखों पर अथवा किसी प्राकृतिक घटना के घटित या अघटित होने पर या चाहे किसी अन्य रीति में पंद्यम् या दांव लगाना है, सिवाय किसी घुड़-दौड़ पर पंद्यम् या दांव लगाने, जब ऐसी घुड़ दौड़ पर पंद्यम् या दांव :--

(क) उस तारीख को लगाया जाता है जब ऐसी दौड़ दौड़ी जानी है, और

(ख) किसी ऐसे अहाता में लगाया जाता है जिसे राज्य सरकार की मंजूरी से, ऐसी घुड़ दौड़ का नियन्त्रण करने वाले प्रबन्धक ने इस प्रयोजन के लिए पृथक् रखा है, किन्तु इसके अन्तर्गत लाटरी नहीं है ;

"जुआ खेलने के उपकरण" के अन्तर्गत है कोई ऐसी वस्तु जो जुआ खेलने या इसे सुकर बनाने के प्रयोजन के लिए साधन या उपकरण के रूप में उपयोग की गई है और कोई ऐसा दस्तावेज जो किसी प्रकार का जुआ खेलने में रजिस्टर या अभिलेख या साक्ष्य के रूप में उपयोग किया गया है और कोई दस्तावेज विशिष्टतया, सट्टा कागजपत्र है, अर्थात् जिसमें दांव लगाने में किन्हीं शब्दों और/या अंकों का अभिलिखित किया जाए और जो जुआ खेलने के लिए या उसके सम्बन्ध में उपयोग किया गया था या उपयोग किया जाना है;

स्पष्टीकरण.-- यदि किसी व्यक्ति के कब्जे से शब्दों और, या अंकों में युक्त कोई दस्तावेज बरामद किया जाता है, जो प्रथम दृष्ट्या दांव लगाने का साक्ष्य प्रतीत

होता है तो जब तक कि उपर्युक्त व्यक्ति इसके प्रतिकूल साबित नहीं करेगा, उपधारणा की जाएगी कि शब्द और अंक, दांव लगाने के साक्ष्य हैं और दस्तावेज का उपयोग जुआ खेलने के लिए किया गया था या उपयोग किया जाना है;

"सामान्य जुआ घर" से कोई ऐसा घर या कमरा अथवा तम्बू या अहाता या यान अथवा जलयान या कोई भी स्थान अभिप्रेत है जिसमें जुआ खेलने के प्रयोजनों के लिए —

(क) किसी व्यक्ति के, जो ऐसे घर, कमरा, तम्बू, अहाता, यान, जलयान या स्थान का स्वामी, अधिष्ठाता या प्रबन्धक है, चाहे ऐसे घर, कमरा, तम्बू, अहाता, यान, जलयान, स्थान या उपकरण के प्रयोग के लिए प्रभार के तौर पर या अन्यथा रूप से, लाभ या अभिलाभ की दृष्टि से, जुआ खेलने के किन्हीं उपकरणों को रखा जाता है या प्रयुक्त किया जाता है,

(ख) जुआ खेलने के ऐसे लाभ या अभिलाभ की दृष्टि से या अन्यथा, जिस प्रयोजन के लिए ऐसे उपकरणों को किसी अंक या संख्या अथवा तत्पश्चात् अभिनिश्चित या प्रकटित की जाने वाली तारीखों अथवा किसी प्राकृतिक घटना के घटित या अघटित होने पर जुआ खेलने के लिए ऐसे उपकरणों को रखा जाता है या प्रयुक्त किया जाता है।"

धारा 2 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 2 के प्रथम पैरा के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा रखा गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

"इस अधिनियम की धारा 13 और धारा 17 का विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य पर होगा, और राज्य सरकार इसके लिए सक्षम होगी कि जब कभी वह ठीक समझे, इस अधिनियम की शेष सभी धाराओं या उनमें से किसी का विस्तार, हिमाचल प्रदेश के किसी भी क्षेत्र में राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा करे।"

धाराएं 3, 4, 5, 6 और 10 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धाराएं 3, 4, 5, 6 और 10 में "घर, दिवारयुक्त अहाते, कमरे या स्थान" शब्दों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं, "घर, कमरा, तम्बू, अहाता, यान, जलयान या स्थान" शब्द रखे गए समझे जाएंगे।

नई धारा 4-क का अन्तःस्थापन।

5. मूल अधिनियम की धारा 4 के पश्चात निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"4-क. **धारा 3 और धारा 4 के अधीन अंकों, आदि के साथ जुआ खेलने से सम्बन्धित अपराधों के लिए वर्धित दंड।**—जहां किसी व्यक्ति द्वारा धारा 3 या धारा 4 के अधीन किया गया अपराध, तत्पश्चात् अभिनिश्चित या प्रकटित किए जाने वाले किन्हीं अंकों या संख्याओं अथवा तारीखों पर जुआ खेलने से सम्बन्धित है, वहां ऐसा व्यक्ति, उन धाराओं में किसी बात के होते हुए भी,—

(क) धारा 3 के अधीन अपराध के मामले में, एक हजार रुपये से अनधिक

जुर्माने से या दोनों में से किसी भी प्रकार के एक वर्ष से अनधिक कारावास से अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा; और

(ख) धारा 4 के अधीन अपराध के मामले में, पांच सौ रुपये से अनधिक जुर्माने से या दोनों में से किसी भी प्रकार के छः मास से अनधिक कारावास से अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा ।

6. मूल अधिनियम की धारा 12 निरसित की गई समझी जाएगी । धारा 12 का निरसन ।

7. मूल अधिनियम की धारा 13 के स्थान पर, निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :— धारा 13 का प्रतिस्थापन और नई धाराएं 13-क और 13-ख का अन्तःस्थापन ।

"13. **सार्वजनिक मार्ग आदि में जुआ खेलने के लिए शास्ति.**—जो कोई किसी सार्वजनिक मार्ग, स्थान या आम रास्ते में जुआ खेलता हुआ पाया जाएगा या किसी पक्षी या किसी पशु को किसी ऐसे मार्ग, स्थान या आम रास्ते में लड़ने के लिए छोड़ेगा वह पचास रुपये से अनधिक जुर्माने से, या दोनों में से किसी भी प्रकार के एक मास से अनधिक कारावास से, दण्डनीय होगा ।

13-क. यदि धारा 13 के अधीन अपराध अंकों, आदि के साथ जुआ खेलने से सम्बन्धित है, तो वर्धित दण्ड.—जहां किसी व्यक्ति द्वारा धारा 13 के अधीन किया गया अपराध तत्पश्चात् अभिनिश्चित या प्रकटित किए जाने वाले किन्हीं अंकों या संख्याओं अथवा तारीखों पर जुआ खेलने से सम्बन्धित है, वहां ऐसा व्यक्ति, उस धारा में किसी बात के होते हुए भी, पांच सौ रुपये से अनधिक जुर्माने से, या दोनों में से किसी भी प्रकार के छः मास से अनधिक कारावास से या दोनों से, दण्डनीय होगा ।

13-ख. बिना वारंट गिरफ्तार करने की शक्ति.—कोई पुलिस अधिकारी, धारा 13 या धारा 13-क द्वारा दण्डनीय बनाए गए किसी अपराध के किए जाने के लिए, किसी व्यक्ति को यदि उसके विचार में उसने ऐसा अपराध किया हो, बिना वारंट गिरफ्तार कर सकेगा ।"

8. मूल अधिनियम की धारा 15 के स्थान पर निम्नलिखित धाराएं रखी गई समझी जाएंगी और इस प्रकार रखी गई धारा 15 के पश्चात् निम्नलिखित नई धाराएं अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :— धारा 15 का प्रतिस्थापन और नई धाराएं 15-क और 15-ख का अन्तःस्थापन ।

"15. **धारा 4 के अधीन पश्चात्वर्ती अपराध के लिए शास्ति.**—जो कोई, धारा 3 के अधीन दण्डनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध किए जाने पर, उस धारा के अधीन किसी दण्डनीय अपराध का पुनः दोषसिद्ध किया जाता है, तो वह निम्नलिखित से,—

(क) द्वितीय अपराध के लिए दोनों में से किसी भी प्रकार के कारावास से जो छः मास तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से;

(ख) तृतीय या किसी पश्चात्वर्ती अपराध के लिए, दोनों में से किसी भी प्रकार के कारावास से, जो एक वर्ष तक का हो सकेगा, और विशेष

कारणों के अभाव में, जिनका वर्णन न्यायालय के निर्णय में अभिलिखित किया जाएगा, ऐसा कारावास, जुर्माने सहित जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, एक मास से कम का न होगा, दण्डनीय होगा ।

15-क. **धारा 4 के अधीन पश्चात्वर्ती अपराध के लिए शास्ति.**—जो कोई, धारा 4 के अधीन दण्डनीय अपराध के लिए, दोषसिद्ध किए जाने पर, उस धारा के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए पुनः दोषसिद्ध किया जाता है वह ऐसे प्रत्येक पश्चात्वर्ती अपराध के लिए जिसके लिए वह उसी प्रकार के प्रथम अपराध के किए जाने पर दण्डनीय होता, दुगुने दण्ड से दण्डनीय होगा ।

15-ख. **धारा 4-क और धारा 13-क के अधीन पश्चात्वर्ती अपराध के लिए वर्धित दण्ड.**—जो कोई, धारा 4-क और धारा 13-क के अधीन दण्डनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध किए जाने पर, उन धाराओं में से किसी के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए पुनः दोषसिद्ध किया जाता है,—

(क) द्वितीय अपराध के लिए ऐसे दण्ड से दंडित किया जाएगा जो प्रथम दोषसिद्धि पर उसे दिए गए दण्ड के दुगुने दण्ड से कम नहीं होगा; और

(ख) तृतीयया किसी पश्चात्वर्ती अपराध के लिए, खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट दण्ड से दण्डित किया जाएगा :

परन्तु खण्ड (ख) के अधीन दण्ड, दोनों में से किसी भी प्रकार के छः मास के कारावास से कम न होगा ।"

नई धारा 18 का अन्तःस्थापन ।

9. मूल अधिनियम की धारा 17 के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा अन्तः स्थापित की गई समझी जाएगी, अर्थात् :—

"18. **कौशल मात्र खेलों को छूट.**—इस अधिनियम की कोई बात कौशल मात्र के लिए कहीं भी खेले गए किसी खेल को लागू नहीं होगी ।"

निरसन और व्यावृत्तियां ।

10. (1) पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश में जोड़े गए क्षेत्रों में यथाप्रवृत्त, पब्लिक गेम्बलिंग (पंजाब अमैन्डमेन्ट) ऐक्ट, 1929 (1929 का 10) और पब्लिक गेम्बलिंग (पंजाब अमैन्डमेन्ट) ऐक्ट, 1960 (1960 का 9) एतद्द्वारा निरसित किए जाते हैं :

परन्तु निरसन,—

(क) ऐसे निरसित अधिनियमों के पूर्व-प्रवर्तन पर अथवा तद्धीन सम्यक् रूप से की गई या सहन की गई बात पर, या

(ख) ऐसे निरसित अधिनियमों के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व पर, या

(ग) इस प्रकार निरसित अधिनियमों के विरुद्ध किए गए किसी अपराध के बारे में उपगत किसी शास्ति, समपहरण या दण्ड पर, या

(घ) पूर्वोक्त जैसे किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व, शास्ति, समपहरण या दण्ड के बारे में किसी अन्वेषण, विधिक कार्यवाही, या उपचार पर, प्रभाव नहीं डालेगा और ऐसा कोई अन्वेषण, विधिक कार्यवाही, या उपचार ऐसे संस्थित किया जा सकेगा, चालू रखा जा सकेगा या प्रवर्तित किया जा सकेगा और ऐसी कोई शास्ति, समपहरण या दण्ड अधिरोपित किया जा सकेगा मानो यह अधिनियम पारित नहीं किया गया था।

(2) उप-धारा (1) के परन्तुक के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, उप-धारा (1) द्वारा निरसित अधिनियमों के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई, जहां तक यह उससे असंगत न हो, इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी और तदनुसार तब तक प्रवृत्त रहेगी, जब तक इस प्रकार संशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गई किसी बात या कार्रवाई द्वारा अधिक्रान्त नहीं की जाती है।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।